मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
अनुसूचित जाति संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति

प्रकरण क्रमांक 299/2025

श्रीमती प्रतिमा बागरी आत्मजा श्री जय प्रताप सिंह बागरी,
पता -निवासी-ग्राम हरदुआ मझोल, तहसील-नागौद, जिला-सतना(म.प्र.)

(निर्णय दिनांक 14.07.2026)

मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा कु. माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र के सिविल अपील प्रकरण क्रं. 5854/94 (ए.आई.आर. 1995) में पारित निर्णय के अनुपालन में म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7-1/96/आ.प्र./1 दिनांक 8 सितम्बर 1997 के द्वारा अनुसूचित जाति के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्रों की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 06.07.2026 को प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित थे:-

1.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश भोपाल	सदस्य सचिव
3.	प्रतिनिधि संचालक, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, म.प्र. भोपाल(अनुसूचित जाति के विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारी)	सदस्य
4.	सचिव, म.प्र. राज्य अनुसूचित जाति आयोग, भोपाल	सदस्य

2. शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार आत्मज स्व.श्री प्रेमनारायण अहिरवार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर(म.प्र.) में याचिका प्रकरण क्रमांक 8658/2026 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर(म.प्र.) द्वारा याचिका में दिनांक 24/04/2026 को आदेश पारित किया गया, जो निम्नानुसार है:- "the High Level Caste Scrutiny Committee, to take a decision, if not already taken, and to communicate the same to the petitioner within sixty days from the date of this order. He further submits that the High Level Caste Scrutiny Committee shall call respondent No.3, conduct verification in accordance with the prescribed procedure and take a decision as to whether the caste certificate issued in favour of respondent No.3 showing her to be a member of the Scheduled Caste community, is valid. After verifying the correctness of the certificate, the Committee shall pass an appropriate order within sixty days from the date of communication of this order."

3. श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी आत्मजा श्री जय प्रताप सिंह बागरी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-नागौद, जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा अनुसूचित जाति की "बागरी" जाति का जारी जाति प्रमाण-पत्र, क्रमांक RS/429/0117/6692/2018 दिनांक 27/10/2018 की जांच हेतु शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार, निवासी-50 गीता निवास, गोविंद गार्डन, वार्ड नं.-44, तह. हुजूर, भोपाल (म.प्र.) द्वारा दिनांक 31.03.2025 को शिकायत की गयी। उनकी शिकायत अनुसार श्रीमती प्रतिमा बागरी आत्मजा श्री जय प्रताप सिंह बागरी द्वारा फर्जी दस्तावेज/अभिलेख/ साक्ष्य प्रस्तुत कर, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सतना(म.प्र.) से अनुसूचित जाति की "बागरी" जाति का जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के समर्थन में दिनांक 31.03.2025 को शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

4. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर(म.प्र.) द्वारा याचिका क्रमांक W.P.8658/2026 में पारित निर्णय के अनुक्रम में उच्च स्तरीय छानबीन समिति की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार श्रीमती प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र की प्रति, समिति के पत्र क्रमांक-5956 दिनांक 25.11.25, 6128 दिनांक 04.12.25, 407 दिनांक 07.05.26, 576 दिनांक 18.05.26 द्वारा कलेक्टर, जिला-सतना(म.प्र.) एवं पत्र क्रमांक- 5957 दिनांक 25.11.25, 6127 दिनांक 04.12.25, 408 दिनांक 07.05.26 एवं 577 दिनांक 18.05.26 द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला-सतना(म.प्र.) को जांच हेतु भेजी गई ।

5. उच्च स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 13/05/2026 को प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार आत्मज स्व.श्री प्रेमनारायण अहिरवार को उपस्थित होने हेतु समिति के पत्र क्रमांक-465 दिनांक 12.05.26 द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया। शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार द्वारा अपरिहार्य कारणो से भोपाल जिलें से बाहर होने के कारण उक्त बैठक में उपस्थित नहीं होने के संबंध में आवेदन-पत्र दिनांक 12/05/2026 समिति को प्रस्तुत किया।

6. समिति द्वारा शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार को समिति की आगामी बैठक दिनांक 20/05/2026 को उपस्थित होने हेतु समिति के पत्र क्रमांक-485 दिनांक 13/05/2026 द्वारा सूचना-पत्र जारी किया गया। शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार समिति की बैठक दिनांक 20/05/2026 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये। बैठक में समिति द्वारा शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार का पक्ष सुना गया। उनके द्वारा समिति के समक्ष श्रीमती प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति की "बागरी" जाति का जारी जाति प्रमाण-पत्र, क्रमांक RS/429/0117/ 6692/2018 दिनांक 27/10/2018 के संबंध में की गई शिकायत के समर्थन में दस्तावेज/ अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/अभिलेख/ साक्ष्य का समिति द्वारा अनुशीलन किया गया।

7. समिति द्वारा बैठक दिनांक 20/05/2026 की प्रोसेडिंग में श्रीमती प्रतिमा बागरी के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर, जिला-सतना(म.प्र.) से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त होने से, प्रकरण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

8. पुलिस अधीक्षक, जिला-सतना(म.प्र.) के पत्र क्र0/पुअ/सतना/शिका0/जाति जांच/प्रति/02/25, 02ए/25-26 दि0 दिनांक 30/05/26 द्वारा शिकायत की जांच 04 सदस्यीय कमेटी से कराई गयी जांच का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

8.1 अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी पिता जय प्रताप सिंह बागरी की जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग (राजस्व) नागौद जिला सतना के पत्र क्र. 581/अनु.अधि./2026 नागौद दिनांक 25.05.2026 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन किया गया, जिसमें अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण) अनुभाग नागौद जिला सतना द्वारा प्रमाण पत्र क्र.92314 दिनांक 17.02.2004 को जारी किया गया है। उक्त हस्तलिपि मैनुअल अनुसूचित जाति, प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति प्राप्त करने हेतु अनावेदिका द्वारा रजिस्ट्रेशन नम्बर RS/429/0117/6692/2018 दिनांक 27/10/2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग नागौद के द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 2 तथा जाति प्रमाण पत्र के जारी होने संबंध में बिन्दु क्र. 6, 6.1, 6.2 में लेख है। उक्त तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी जन्म से सतना जिले में निवासरत हैं तथा उनका जाति प्रमाण पत्र एस.डी.एम. कार्यालय नागौद से वैधानिक रूप से जारी हुआ है, जो बागरी जाति की हैं।

8.2 अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी पिता जय प्रताप सिंह बागरी के पूर्वजों के राजस्व अभिलेख में दर्ज दस्तावेज के संबंध में कार्यालय तहसीलदार, तहसील नागौद जिला सतना के पत्र क्र. 223/रीडर/तह./2026 नागौद दिनांक 26.05.2026 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन किया गया, जिसमें वर्ष 1916-17 ग्राम वसुधा रय्यतवारी खतौनी क्रमांक 29 में भूमिस्वामी बैजनाथ वल्द रामसरन यवेनी वल्द गंगा "अकवाम" बागरी सा. देह दर्ज अभिलेख है। उक्त खतौनी के क्रमांक 11 में गौरीशंकर वल्द रामसरन "कौम" बागरी सा.देह दर्ज अभिलेख है, जो आराजी क्र. 488 आराजी क्र. 212 के भूमिस्वामी हैं। उक्त आराजी क्र. 488, आराजी क्र. 212 , वर्तमान में जुगुल किशोर बागरी के वंशजों के नाम दर्ज अभिलेख है। उक्त खतौनी 1916-17 ग्राम वसुधा के क्र.55 में राजिआमन वल्द रामाधीन व ललुवा वल्द रामप्रसाद व गौरी वल्द रामसरन "अकवाम" बागरी सा. देह के नाम पर राजी

क्र. 489, आराजी क्र. 490 दर्ज अभिलेख है। उक्त आराजी क्र. 489 आराजी क्र. 490 वर्तमान में जुगुल किशोर बागरी के वंशजों के नाम दर्ज अभिलेख है। राजस्व अभिलेख के संबंध में एस.डी.एम. तथा तहसीलदार नागौद जिला सतना के द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 3 में उल्लेख किया गया है, एस.डी.एम. तथा तहसीलदार नागौद जिला सतना के कार्यालय मे प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा खसरा/खतौनी के अनुसार है। अनावेदिका के पूर्वज दिनांक10.08.1950 की स्थिति में जिला सतना के मूल निवासी थे और बागरी जाति के थे।

8.3 अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी के प्राथमिक स्तर पर शाखा में प्रवेश की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक सेंट माइकल हायर सेकेण्डरी स्कूल अमोधा कलां जिला सतना एवं प्राचार्य बोनोन्जा कान्वेन्ट हायर सेकेन्ड्री स्कूल सतना से जानकारी चाही गई, जो प्रिंसिपल सेंट माइकल हायर सेकेण्डरी विद्यालय अमोधा कलां जिला सतना के द्वारा कक्षा 01 में दिनांक प्रवेश दिनांक 17.07.95 व कक्षोन्नति दिनांक 30.04.96 का उल्लेख है, एवं प्रिंसिपल बोनोन्जा कान्वेन्ट हायर सेकेन्ड्री स्कूल बिरला रोड सतना के द्वारा 11वीं में दिनांक 24.07.06 को दाखिला होने का उल्लेख है। अनावेदिका के कक्षा 1 के दाखिला पंजी में प्रतिमा सिंह पिता जय प्रताप सिंह तथा कक्षा 11वीं के दाखिला पंजी में प्रतिमा सिंह बागरी पिता जय प्रताप सिंह बागरी लेख है।

8.4 अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी द्वारा अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं छात्रावास योजना का लाभ लिये जाने संबंधी जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग, जिला सतना के पत्र क्र./स्थापना/जांच/2026-27/437 सतना दिनांक 26.05.2026 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन किया गया, जिसमें अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री रामाकृष्णा लॉ कालेज सतना में दिनांक 01.07.2017 को LL.B (1st Year) में दाखिल हुई थी, जिनके द्वारा 1st Year, 2nd Year एवं 3rd Year में छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त किया गया है, जिसका उल्लेख सूची के क्रमांक 2,7,21 में है। कार्यालय कलेक्टर, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग, जिला सतना से प्राप्त दस्तावेज अनुसार अनावेदिका प्रतिमा बागरी द्वारा अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति का लाभ लिया गया है।

8.5 अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी के पूर्वज शासकीय सेवा में नहीं थे, इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन के आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा जाति प्रमाण पत्र की वैधता के परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप में क्रमांक 5 के "क से ड़" तक बिन्दुओं अनुसार इनके पूर्वज कृषि/मजदूरी का कार्य करते थे तथा शासकीय सेवा में सेवारत नहीं रहे हैं, लेख है। अनावेदिका प्रतिमा बागरी द्वारा अपने कथन में भी उनके पूर्वज किसी शासकीय सेवक में ना होना लेख कराई है।

8.6 अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी के पिता जय प्रताप बागरी निवासी हरदुआ मझोल के शैक्षणिक अभिलेख हेतु प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट 1 जिला सतना तथा प्रधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक विद्यालय वसुधा थाना नागौद जिला सतना से जानकारी चाही गई जो प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय वेंकट 1 जिला सतना ने पत्र क्र- 481/वेतन/2026-27/ सतना दिनांक 26.05.2026 के माध्यम से जय प्रताप सिंह स्कालर क्र. 5478 सत्र 1981-82 के कक्षा 9 की दाखिला पंजी प्रदान की है तथा प्रधानाध्यपक शासकीय माध्यमिक विद्यालय वसुधा थाना नागौद जिला सतना कक्षा 8 के दाखिला रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदान की है, जिसमें अनु क्र.1236 दिनांक 24.09.80 को दाखिला होना लेख है। अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी के पिता जय प्रताप सिंह के शैक्षणिक अभिलेख (दाखिला पंजी) के कालम 4 में जाति बागरी लेख है।

8.7 अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी के पिता जय प्रताप बागरी पिता जीवनदास बागरी निवासी हरदुआ मझोल तहसील नागौद का कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण) अनुभाग नागौद जिला सतना द्वारा प्रमाण पत्र क्र.92311 दिनांक 17.02.2004 को जारी किया गया है।

8.8 इस संबंध में आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी से जानकारी भरवायी गयी है।

8.9 इस संबंध में क्षेत्र के शत्रुधन प्रसाद मिश्रा पिता श्याम सुन्दर उम्र 53 वर्ष निवासी वसुधा, अनूप कुमार द्विवेदी पिता बाल मुकुन्द द्विवेदी उम्र 60 वर्ष निवासी बचवई, वीरेन्द्र सिंह परिहार पिता स्व. उदय नारायण सिंह परिहार उम्र 83 वर्ष निवासी ग्राम टिकुरी हाल वसुधा, नातीलाल चमार पिता स्व. पुल्लू चमार उम्र 50 वर्ष निवासी हरदुआ मझोल, लल्ला कोल पिता स्व. रूपा कोल उम्र 59 वर्ष, निवासी हरदुआ मझोल, योगेन्द्र प्रसाद शुक्ला पिता मिथला प्रसाद शुक्ला उम्र 55 वर्ष निवासी वसुधा, छोटेलाल तिवारी पिता स्व.

ईश्वरदीन निवासी उम्र 73 वर्ष निवासी वसुधा बउली टोला के कथन लेख किये गये है। कथनों के आधार पर अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी तथा उनके पूर्वज बागरी जाति के है तथा पूर्वज जिला सतना के मूल निवासी है।

8.10 एस.डी.एम. तथा तहसीलदार कार्यालय नागौद से उक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 1971 की मतदाता सूची में अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी के पूर्वज रामगोपाल बैजनाथ, जीवनलाल रामगोपाल, देवन्ती जीवनलाल,युगुलकिशोर रामगोपाल, रूपकुमारी युगुल किशोर का नाम लेख है।

9. कलेक्टर, जिला-सतना(म.प्र.) के पत्र क्र./स्था./जनजातीय/2026-27/403 सतना दिनांक 2/05/2026 द्वारा तहसीलदार, तहसील-नागौद, जिला-सतना(म.प्र.) से श्रीमती प्रतिमा बागरी के प्रकरण में जांच कराकर, जांच का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

9.1 हल्का पटवारी बचवई प्रस्तुत पंचनामा लेख किया गया है कि श्रीमती बागरी पूर्वज मूल रूप से ग्राम वसुधा तहसील नागौद जिला सतना के निवासी है । वर्तमान में ग्राम बचवई तहसील नागौद में निवासरत है। ग्राम हरदुआ मझोल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 166/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1 रकबा 1.380 हे. 166/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2 रकबा 0.040 हे. 168/1/1 रकबा 0.158 हे., 168/1/2 रकबा 0.001 हे. के भूमि स्वामी जय प्रताप बागरी पिता जीवनदास बागरी के नाम दर्ज अभिलेख है। 166/1/1/1/3/1/1 रकबा 1.438 हे. 166/1/1/1/3/1/1/2 रकबा 0.126 हे. 167/2/1 रकबा 0.021 हे., 39/3/2/1 रकबा 0.157 हे. अनिल पिता जय प्रताप बागरी के नाम दर्ज अभिलेख है। जो कि अनावेदिका के पिता है। इस प्रकार से 168/1/1/1/3/2/1/1/1/1/1/1 रकबा 1.093 हे., 166/1/1/1/3/2/2 रकबा 0.017 हे. 167/2/2/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.103 हे., 167/2/2/2 रकबा 0.004 हे. 168/2/1/1/1 रकबा 0.100 हे. 168/2/1/2 रकबा 0.001 हे. 168/2/1/1/2 रकबा 0.079 हे. 168/2/2 रकबा 0.02 हे. 170 रकबा 0.421 हे. 39/3/2/2 रकबा 0.157 हे. अविनाश पिता जय प्रताप बागरी दर्ज अभिलेख है। जो अनावेदिका के भाई है। उक्त भूमियां भूमि स्वामियों को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। ग्राम हरदुआ मझोल की भूमि खसरा नं. 166, 167, 170 व अन्य भूमियाँ रामगोपाल तनय बैजनाथ बागरी द्वारा पूर्व में क्रय की गई थी, जो जमाबंद खतौनी वर्ष 1958-59 में दर्ज है। उक्त भूमि रामगोपाल द्वारा बटवारा उपरान्त अपने पुत्र जीवनदास बागरी को दी गई थी। जीवनदास बागरी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 0285/अ-27/2023-4 आदेश दिनांक 27/02/2024 द्वारा बटवारे से दी गयी है। ग्रामीणजनों व ग्रामपंचों द्वारा बताया गया कि वे इनके पूर्वज मूल रूप से खजूर की झाड़ु बनाने का कार्य करते थे तथा अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते है। श्रीमती बागरी के सम्बन्ध में लक्ष्मी प्रसाद तनय छोटेलाल प्रसाद बागरी निवासी ग्राम हरदुआ मझोल व नाथीलाल तनय पुन्नू चौधरी निवासी ग्राम हरदुआ मझोल के कथन अंकित किए गए।

9.2 हल्का पटवारी बसुधा तहसील नागौद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि अनावेदिका प्रतिमा बागरी आत्मजा श्री जय प्रताप बागरी का पैतृक ग्राम बसुधा तहसील नागौद है। जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत बसुधा के सरपंच, सचिव व ग्रामीणजनों द्वारा की गयी है। हल्का पटवारी बसुधा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती बागरी के पूर्वज बटवारा उपरान्त ग्राम हरदुआ मझोल तहसील नागौद जिला सतना चले गए एवं वही निवास करने लगे। श्रीमती बागरी के सम्बन्ध में बीरेन्द्र सिंह तनय उदयनारायण सिंह परिहार निवासी ग्राम बसुधा तहसील नागौद व भगवानदास बागरी तनय रामेश्वर प्रसाद बागरी उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम बसुधा के कथन लिए गए है। अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 2780B121/03-04 हस्तलिखित प्रमाण पत्र जारी दिनांक 17/02/2004 के आधार पर जारी प्रमाण पत्र क्रमांक RS/429/ 0117/ 6692/2018 दिनांक 27/10/2018 में निवास स्थान हरदुआ मझोल तहसील नागौद बताया गया है। तथा अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत कथन में स्वयं का जन्म ग्राम हरदुआ मझोल बताया गया है।

9.3 वर्ष 1916-17 ग्राम वसुधा रय्यतवारी खतौनी क्रमांक 29 में भूमिस्वामी बैजनाथ वल्द रामसरन यवेनी वल्द गंगा "अकवाम" बागरी सा. देह दर्ज अभिलेख है। उक्त खतौनी के क्रमांक 11 में गौरीशंकर वल्द रामसरन "कौम" बागरी सा. देह दर्ज अभिलेख है। जो आराजी क्र. 488 आराजी क्र.212 के भूमिस्वामी हैं। उक्त आराजी क्र.488 क्र. 212 वर्तमान में जुगुल किशोर बागरी के वंशजों के नाम दर्ज अभिलेख है। उक्त खतौनी 1916-17 ग्राम वसुधा के क्र.55 में रामजिआमन वल्द रामाधीन व ललुवा वल्द रामप्रसाद व गौरी वल्द रामसरन "अकवाम" बागरी सा. देह के नाम पर आराजी क्र. 489, आराजी क्र. 490 दर्ज अभिलेख है। उक्त आराजी क्र.489 आराजी क्र.490 वर्तमान में जुगुल किशोर बागरी के वंशजों के नाम दर्ज अभिलेख है।

9.4 इस कार्यालय से जरिये पत्र क्रमांक 543 /अनु.अधि./2026 नागौद दिनांक 14/05/2026 को सूचना पत्र जारी किया गया। जिसमें अनावेदिका माननीय प्रतिमा सिंह बागरी, विधायक विधानसभा क्षेत्र 062 रैगांव जिला सतना (म.प्र.) एवं राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय म.प्र.भोपाल द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जो पृष्ठ क्रमांक 01 से लेकर 122 तक संलग्न प्रकरण है। तथा इस कार्यालय से जरिये पत्र क्रमांक 544/अनु.अधि./2026 नागौद दिनांक 14/05/2026 को (स्पीडपोस्ट एवं डाक के द्वारा) सूचना पत्र भेजा गया। जिसमें शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार पिता स्व. श्री प्रेमनारायण अहिरवार, स्टेट प्रशीडेंट अनुसूचित जाति विभाग इंडियन नेशनल कांग्रेस, R/O मकान नम्बर 96 वार्ड नं. 09 पोस्ट जुझारपुर तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) के द्वारा न तो.उपस्थित हुए न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

9.5 दायरा रजिस्टर वर्ष 2003-04 दिनांक 01-10-2003 से चालू की सत्यापित छायाप्रति पेज क्रमांक 01 से पेज क्रमांक 03 तक उपलब्ध है।

9.6 माननीय उच्चतम न्यायलय के द्वारा माधुरी पाटिल प्रकरण में दिये गये निर्देशों के अनुरूप निर्धारित जाति प्रमाण पत्र तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी पिता श्री जयप्रताप सिंह बागरी का अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र प्रकरण क्रमांक 2780B121/03-04/बी-121/ जाति प्रमाण पत्र हस्तलिखित प्रमाण पत्र जारी दिनांक 17/02/2004 का प्रमाण पत्र क्रमांक RS/429/0117/6692/2018 दिनांक 27/10/2018 (पेज क्रमांक 1 से पेज क्रमांक 15 तक) जारी किया गया है। इस कार्यालय द्वारा जारी दो जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

9.6.1 प्रथम हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र क्र.2780बी121/03 दिनांक 17/02/2004 के विवरण का कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय की दायरा रजिस्टर वर्ष 2003- 04 की प्रविष्टि से मिलान किया गया एवं पाया गया कि प्रविष्टि क्रमांक 2780 में जारी जाति प्रमाण पत्र के नाम में भिन्नता है। प्रविष्टि क्रमांक 2780 में ग्राम नौगवां के शिवकुमार पुत्र लालमन सिंगरौल ओ.बी.सी. दर्ज रिकार्ड है। परन्तु प्रविष्टि क्रमांक 2880 में प्रतिमा सिंह पुत्री जयप्रताप बागरी से मिलान पाया जाता है। शाखा लिपिक के पत्र दिनांक 21.05.2026 के अनुसार 2003-04 का यह मूल रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं पाया गया।

9.6.2 द्वितीय ऑनलाईन जारी जाति प्रमाण पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागौद के जाति प्रमाण पत्र क्र. RS/429/0117/6692/2018 दिनांक 27/10/2018 अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं मूल जाति 2003-04 को जमा करने के आधार पर जारी होना पाया गया है। उक्त जाति प्रमाण पत्र RS/429/0117/ 6692 /2018 दिनांक 27/10/2018 का ऑनलाईन पोर्टल http://mpedistrict.gov.in में सत्यापन किया गया। यह प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रदर्शित हो रहा है। जिसे बेबसाइट पर देखा जा सकता है।

9.7 कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागौद जिला सतना के द्वारा श्री जयप्रताप बागरी पिता जीवनदास बागरी (पिता) का अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन नंबर RS/429/0117/6682/2018 दिनांक 27/10/2018 है।

9.8 प्रकरण में संलग्न श्री विजय प्रताप बागरी तनय जीवन दास बागरी सा. हरदुआ मझोल (चाचा) से संबंधित दस्तावेज आय प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

9.9 अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की वैधता के परीक्षणं हेतु आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप में क्रमांक 5 के क से ड़ तक बिन्दुओं अनुसार उनके पूर्वज कृषि/मजदूरी का कार्य करते थे तथा शासकीय सेवा में सेवारत नहीं रहे है।

10. राज्य उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा संदेहास्पद जाति प्रमाण-पत्र धारक श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी पुत्री श्री जय प्रताप सिंह बागरी एवं शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार आत्मज स्व. श्री प्रेमनारायण अहिरवार को समिति की बैठक दिनांक 06.07.2026 में समक्ष में सुनवाई हेतु समिति के पत्र क्रमांक-1194 + 1195 दिनांक 30/06/26 द्वारा आमंत्रित किया गया। अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी एवं शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार बैठक में समिति के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा समिति के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखा गया एवं पक्ष समर्थन में दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत किये गये।

11. शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार आत्मज स्व. श्री प्रेमनारायण अहिरवार द्वारा शिकायत के समर्थन में पूर्व में एवं समिति की बैठक दिनांक 06/07/2026 को समिति के समक्ष दस्तावेज/ अभिलेख प्रस्तुत किये, जिनमें भारत सरकार का वर्ष 1950 का गजट, भारत सरकार का वर्ष 1956 का गजट, भारत सरकार का वर्ष 1979/1976 का गजट, भारत सरकार का वर्ष 2007 का गजट, सतना जिलें की 1961 की अनुसूचित जाति की जाति गणना, आदिम जाति अनुसंधान संस्थान, मध्यप्रदेश भोपाल की वर्ष 2002-2003 की रिपोर्ट, सतना जिलें का जिला गजेटियर, रसेल की रिपोर्ट इत्यादि शामिल है। उपरोक्त अभिलेखों के आधार पर एवं उनके द्वारा समिति के समक्ष मौखिक रूप से अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी अनुसूचित जाति वर्ग की बागरी न होकर, राजपूत बागरी है, अवगत कराते हुये, अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी के जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया।

12. अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी आत्मजा श्री जय प्रताप सिंह बागरी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में पूर्व में एवं समिति की बैठक दिनांक 06/07/2026 में जाति प्रमाण-पत्र की वैधता के समर्थन में, 1950 के पूर्व का निवास एवं राजस्व अभिलेख, सिजरा-खानदान, पारिवारिक जाति प्रमाण-पत्रों की प्रतियां, शैक्षणिक साक्ष्य, भारत सरकार का वर्ष 1976 का गजट, भारत सरकार का वर्ष 2007 का गजट, दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत किये गये एवं उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में निम्नानुसार लेख किया गया है कि :-

- जाति प्रमाण-पत्र की वैधता: मेरा जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी-राजस्व, नागौद, जिला सतना) द्वारा पूर्णत: नियमानुसार जारी किया गया है। यह प्रमाण-पत्र म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 7-42/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 31 जनवरी 2014 की कंडिका 5.2 में निर्धारित सभी साक्ष्यों और अभिलेखों की विधिवित जांच के उपरांत ही जारी किया गया है, अत: यह पूर्णत: सही और वैध है।

- 1950 के पूर्व का निवास एवं राजस्व अभिलेख : मेरा परिवार 1950 के पूर्व में नागौद तहसील जिला सतना के ग्राम वसुधा में निवासरत था, बाद में मेरे दादाजी ग्राम हरदुआ मझोल (जो मेरा जन्म स्थान भी है) में आकर बस गए।
- मेरे दादा स्व. श्री जीवनदास बागरी के पिता स्व. श्री रामगोपाल बागरी पिता स्व. श्री बैजनाथ बागरी के नाम दर्ज वर्ष 1945-46 के भूमि अभिलेख संलग्न है, जिसमें कौम/जाति "बागरी" स्पष्ट अंकित है।
- परिवार के अन्य सदस्य स्व. श्री गौरी शंकर पिता रामशरण बागरी के वर्ष 1916-17 के भूमि अभिलेख (रैयतवारी खतौनी) संलग्न हैं, जिनमें भी कौम/जाति "बागरी" दर्ज है।
- इसके अतिरिक्त, मेरे पिता श्री जयप्रताप बागरी, चाचा श्री विजय बागरी तथा मेरे स्वयं के भूमि संबंधी अभिलेख संलग्न है, जिनमें स्पष्ट रूप से नाम के साथ जाति "बागरी" दर्ज है और कहीं भी "राजपूत" या "ठाकुर" अंकित नहीं है।
- निवास एवं पारिवारिक जाति प्रमाण पत्र : मेरा और मेरे पिता श्री जयप्रताप बागरी का स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न है, जो सक्षम अधिकारी, तहसीलदार, रघुराजनगर, जिला सतना द्वारा जारी किया गया है। साथ ही, मेरे पिता, चाचा श्री विजय प्रताप बागरी, भाई श्री अनिल बागरी व श्री अविनाश बागरी, और चचेरे भाइयों श्री प्रशांत बागरी व श्री शिवम बागरी के जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि मै एवं मेरे समस्त पारिवारिक सदस्य सतना जिले के मूल निवासी होकर "बागरी" जाति के हैं।
- शैक्षणिक साक्ष्य: मेरे, मेरे पिता और माता के निम्नलिखित शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्र संलग्न है जिनमें जाति "बागरी" स्पष्ट रूप से अंकित है।
  - स्वयं के प्रमाण:- पूर्व माध्यमिक परीक्षा 2003 की अंकसूची, बोनांजा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी सकूल का स्कॉलर रजिस्टर, 10+2 (वर्ष 2008) की अंकसूची, ए.पी.एस. विश्वविद्यालय की एल.एल.बी. 6वें सेमेस्टर (जून 2020) की अंकसूची, स्टेट बार काउंसिल ऑफ म.प्र. का नामांकन प्रमाण पत्र और संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-3 (2011) का परिणाम। उक्त सभी प्रमाणों में जाति बागरी अंकित है बोनान्जा स्कूल के स्कॉलर रजिस्ट्रर में बागरी जाति के साथ SC भी दर्ज है।
  - पिता के प्रमाण- श्री जयप्रताप सिंह : वर्ष 1980 व 1981-82 की दाखिला पंजी तथा वर्ष 1985 की हायर सेकेंडरी अंकसूची इन दस्तावेजों में भी बागरी अंकित है।

- ➢ माता के प्रमाण श्रीमती कमलेश बागरी : उद्यमिता विकास केंद्र (CEDMAP) में भी जाति बागरी अंकित है।
- ➢ विधिक आधार: जब मेरे पिता, चाचा, भाई, चचेरे भाई और पति सभी "बागरी" (अनुसूचित जाति) के सदस्य हैं, तो स्वत: सिद्ध है कि मैं भी बागरी अनुसूचित जाति की सदस्य हूँ।

- संपूर्ण मध्यप्रदेश में 'बागरी' का अनुसुचित जाति के रूप में मान्य होना: बागरी जाति पूरे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के रूप में मान्य है। इसके आधार है: अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश (संशोधन) 1976, संविधान आदेश 2007, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.08.2007 तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयो का निर्देश पत्र (J-22/MP-8/2003/SSW-II, दिनांक 08.10.2003 एवं छानबीन समिति के पूर्व में पारित निर्णय, मान. सर्वोच्च न्यायालय थण्डन समुदाय बनाम केरल राज्य दिनांक 03.12.1993 का उल्लेख है।

- बागरी जाति की संस्कृति, पेशा और विवाह संबंध: सतना/पन्ना जिले में निवास करने वाले बागरी समाज का मुख्य पेशा कृषि-मजदूरी है तथा रहन-सहन अत्यंत सादा है। पारंपरिक रूप से महिलाएँ कछोटा लगाकर धोती पहनती थीं, चूड़ा-पैजना पहनती थीं, गोदना गुदवाती थीं और दोनों तरफ नाक छिदवाती थीं। पुरूष बण्डी, धोती और टोपी/पगड़ी पहनते थे (जो अब आधुनिकीकरण के साथ बदला है) । हमारे विवाह संबंध पूर्व से ही केवल 'बागरी' जाति के भीतर होते आए हैं: राजपूत या ठाकुर जातियों के साथ हमारा कोई विवाह नहीं होता है।

- छुआछूत और भेदभाव: सवर्ण और उच्च जातियां (जैसे ब्राहाम्ण, ठाकुर/राजपूत आदि) आज भी बागरी जाति के लोगों के घरों में पका भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और जातिगत भेदभाव रखते हैं। यह प्रमाणित करता है कि 'बागरी' अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है और यह ठाकुर या राजपूत की उपजाति नहीं है।

- मेरे पूर्व मेरे दादा जी स्व. श्री जुगुल किशोर बागरी जी सतना जिले में रैगांव विधानसभा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित वर्ग की विधानसभा से दिस्म्बर 1993 से 1998, दिसम्बर 1998 मे 2003, दिसम्बर 2003 से 2008, दिसम्बर 2008 से 2013, एवं दिसम्बर 2018 से 10 मई 2021 तक की अवधि में मध्यप्रदेश विधानसभा से सदस्य रहे है।

- श्री काशी प्रसाद बागरी जी विधायक, अमानगंज, पन्ना जिले में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित वर्ग की विधानसभा से निर्वाचन वर्ष 1985 से 1990 एवं वर्ष 2003 से 2008 तक मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे है।

- श्री महेंद्र सिंह बागरी, विधायक गुन्नौर विधानसभा, पन्ना जिले में अनुसूचित जाति हेतु आरिक्षत वर्ग की विधानसभा से निर्वाचन वर्ष 2013 से 2018 तक मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे है।

- श्री शिवदयाल बागरी जी, विधायक गुन्नौर विधानसभा, पन्ना जिलें में अनुसूचित हेतु आरक्षित वर्ग की विधानसभा से निर्वाचन वर्ष 2018 से 2023 तक मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे है।

मेरे पूर्वज 1950 के पूर्व में नागौद तहसील (सतना) के ग्राम वसुधा/हरदुआ मझोल के मूल निवासी हैं। मेरे एवं पारिवारिक सदस्यों के सभी भूमि और शिक्षा संबंधी अभिलेखों में जाति 'बागरी' दर्ज है तथा कहीं भी ठाकुर/ राजपूत का उल्लेख नहीं है। अत: यह सिद्ध है कि मैं "बागरी" अनुसूचित जाति की वास्तविक सदस्य हूँ और अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) , नागौद, जिला सतना द्वारा जारी मेरा जाति प्रमाण पत्र पूर्णत: सत्य एवं वैध है।

13 समिति की बैठक दिनांक 06/07/2026 में सतना जिलाध्यक्ष ग्रामीण, श्री राम चरित वर्मा, शहरी जिलाध्यक्ष श्री सुनील कुमार चौधरी एवं श्री रोहित बागरी द्वारा व अन्य रहवासीगण भी उपस्थित हुये, जिनके द्वारा श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी के प्रकरण में अपना-अपना पक्ष रखा व लिखित आपत्तियां प्रस्तुत की, जो निम्नानुसार है:-

13.1 प्रतिमा बागरी या उसके परिवार के पास 1950 के समय से 1976 तक अनुसूचित जाति में होने को कोई प्रमाण नहीं हैं। भारत में 1950 में पहली बार अनुसूचित जातियों की सूची बनाई गई जिसमें अस्पृश्यता तथा छुआछूत से ग्रसित समाज में निम्न स्तर के कार्य करने वाले लोग जो समाजिक शैक्षणिक स्तर से पिछड़े थे उन जाति के लोगो को अनुसूचित जाति श्रेणी में रखा गया था। जिसमें वर्तमान का पन्ना, सतना को क्षेत्र जो कि 1950 में विंध्य प्रदेश था उसमें रहने वाले प्रतिमा बागरी का परिवार जो राजपूत बागरी समाज के लोग है इन्है अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया था। क्योंकि ये लोग आजादी के पहले से सम्पन्न किसान है और इनके पास बड़े पैमाने में कृषि भूमी के स्वामी थे और इनके साथ किसी भी प्रकार का समाजिक भेदभाव छुआछूत नहीं होती थी ये लोग आपने आप को क्षत्रिय राजपूत कहते थे।

13.2 1950 में वर्तमान के मध्यप्रदेश के मध्य भारत भाग में रहने वाले बागारी समाज के लोगों अनुसूचित जाति श्रेणी में रखा जिसका मुख्य कारण था यहा के बागरी समाज के लोग पूर्व में चोरी डकैती का काम करते थे और झाड़ू, दोना, पत्तल बनाने का काम करते थे अंग्रेजों ने इन्हे अपराधी जाति का घोषित किया हुआ था। इनके साथ समाजिक भेदभाव छूआछूत होती थी और ये लागे समाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे जिस कारण से इस जाति के लोगों को मध्य भारत क्षेत्र में अनुसूचित जाति श्रेणी में रखा गया था।

14. **मध्यप्रदेश में बागरी, बागड़ी जाति के जाति प्रमाणपत्र जारी किये जाने के संबंध में वैधानिक स्थिति।**

- भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 10 अगस्त 1950 में राज्यों के लिए अनुसूचित जाति वर्ग की अधिसूचनायें /गजट के (भाग-4) मध्यप्रदेश में बागरी/बागड़ी जाति सूची में दर्ज नहीं हैं। गजट के (भाग-11) मध्य भारत राज्य के लिए जारी अनुसूचित जाति सूची में सरल क्र. 01 बागरी/बागड़ी अधिसूचित है।

- भारत सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 1956 में गजट के (भाग-6) में मध्यप्रदेश के भिण्ड, गिर्द, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिलसा, इन्दौर, देवास, धार, झाबुआ एवं निमाड़ (मध्य भारत) के लिए जारी सूची में सरल क्र. 01 में बागरी/बागड़ी जाति अनुसूचित जाति अधिसूचित हैं।

- भारत सरकार द्वारा 20 सितम्बर 1976 को जारी **गजट में जिलों का बन्धन समाप्त** किया जाकर, गजट(भाग-9) मध्यप्रदेश की सूची के सरल क्र. 02 में बागरी/बागड़ी जाति सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति अधिसूचित की गई है।

- जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान,मध्यप्रदेश भोपाल की वर्ष 2002-03 के अध्ययन के आधार पर मध्यप्रदेश शासन,आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक एफ-23-55/98/25-4 भोपाल दिनांक 25/02/2003 एवं पत्र क्रमांक एफ-23-55/98/25-4 दिनांक 14/07/2003 द्वारा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों जैसे महाकौशल,बुन्देलखण्ड, विन्ध्यप्रदेश,क्षेत्रों में सामान्यत: बागरी कहलाने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते है।

- भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 30 Aug. 2007 अनुसार भारत सरकार का राजपत्र के भाग-9 में मध्यप्रदेश में पविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखे- **"2 बागरी, बागड़ी (बागरी, बागड़ी में राजपूत, ठाकुर उपजातियों को छोड़कर)"** सम्पूर्ण मध्यप्रदेश हेतु, जिलों का बंधन नहीं।

15. **समिति का निष्कर्ष :-** छानबीन समिति द्वारा प्रकरण का गहन अनुशीलन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया साथ ही भारत सरकार एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम- निर्देशों, संचालक, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था की मानव शास्त्रीय अध्ययन रिपोर्ट एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का अवलोकन किया। अवलोकन उपरान्त निम्नानुसार स्थिति पाई गई:-

1. श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी के पूर्वजों एवं उनके राजस्व अभिलेखों, उनके शैक्षणिक अभिलेखों, जांच प्रतिवेदन में संलग्न कथनों से स्पष्ट है कि श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी का परिवार 1950 से पहले से ग्राम वसुधा, तहसील नागौद, जिला सतना में निवासरत था, बाद में इनका परिवार ग्राम हरदुआ मझोल, तहसील नागौद, जिला सतना में निवासरत है।

2. भारत सरकार द्वारा 20 सितम्बर 1976 को जारी गजट में जिलों का बन्धन समाप्त किया जाकर, गजट(भाग-9) मध्यप्रदेश की सूची के सरल क्र. 02 में बागरी/बागड़ी जाति सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति अधिसूचित की गई है, जिसके अनुसार श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी अनुसूचित जाति वर्ग की बागरी जाति का हस्तलिखित जाति प्रमाण-पत्र प्रकरण क्रमांक-2780B121/03-04 दिनांक 17/2/04 अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण), अनुभाग नागौद, जिला-सतना मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया, जिसके उपरान्त श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी का अनुसूचित जाति वर्ग की बागरी जाति का डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रकरण क्रमांक-2780B121/03-04/बी-121/जाति प्रमाण पत्र दिनांक 17/02/2004, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक RS/429/0117/6692/2018 दिनांक 27/10/2018 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-नागौद, जिला-सतना, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया।

3. 1950 अथवा पूर्व में निवास का प्रमाण: अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी पिता श्री जयप्रताप सिंह बागरी दादा श्री जीवन दास बागरी परदादा रामगोपाल बागरी वर्ष 1916 से संधारित राजस्व अभिलेख में क्रमांक 13 एवं क्रमांक 33 में वर्ष 1958-59 में श्री रामगोपाल बागरी में बागरी लेख है।

4. जाति का प्रमाण: अनावेदिका श्रीमती प्रतिमा बागरी पिता श्री जयप्रताप सिंह बागरी दादा श्री जीवन दास बागरी परदादा रामगोपाल बागरी वर्ष 1916 से संधारित राजस्व अभिलेख में क्रमांक 13 एवं क्रमांक 33 में वर्ष 1958-59 में श्री रामगोपाल बागरी में बागरी लेख है। अनावेदिका के पिता श्री जयप्रताप सिंह बागरी का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के द्वारा वर्ष 2003-04 में अनुसूचित जाति "बागरी जाति" का जारी किया गया है। डिजिटल जाति प्रमाण पत्र 27.10.2018 को जारी किया गया है। पिता का जाति प्रमाण पत्र अनुविभाग की दायरा पंजी में 2677 क्रमांक पर दर्ज है। अनावेदिका प्रतिमा सिंह बागरी का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के द्वारा वर्ष 2003-04 में अनुसूचित जाति "बागरी जाति" का जारी किया गया है।

5. Affinity/स्वजातीयता: आदिम जाति अनुसंधान संस्थान मध्यप्रदेश के "मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में बागरी/बागड़ी अनुसूचित जाति का तुलनात्मक संक्षिप्त मानवशास्त्रीय अध्ययन" वर्ष 2002-03 में दिए विभिन्न संदर्भों अनुसार बागरी जातियों के साथ ब्राहन्मण, राजपूत, ठाकुर, पटेल, जैन आदि उच्च जाति के लोग खाना नहीं खाते है किन्तु लोधी, किरार, कुर्मी, तैली, अहीर, ढीमर, नाई, कुम्हार, धोबी, लोहार, गौंड परधान, कातिया, चमार, बसोड़, मेहतर जाति के लोग खाना खा लेते है। राजपूतों में शादियां नहीं होती है। अत: बागरी जाति का राजपूत जाति के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं है। मध्यप्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों हेतु अधिसूचना वर्ष 1976 के पूर्व किसी अधिसूचना अनुसार सतना जिला की बागरी जाति

अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं रही है। वर्ष 2007 की अधिसूचना संशोधन में "बागरी/बागड़ी (बागरी, बागड़ी में राजपूत, ठाकुर उपजातियों को छोड़कर)" होते हुए भी सतना जिला की बागरी जाति को बागरी/बागड़ी में राजपूत/ठाकुर उपजाति में होने के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हैं।

6 श्री प्रदीप अहिरवार द्वारा ऐसा कोई निश्चयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिससे यह माना जा सके कि श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी, "बागरी" अनुसूचित जाति वर्ग की न होकर "बागरी" राजपूत/ठाकुर जाति की है।

अत: विचारोपरांत तथ्यों तथा अभिलेखों के अनुक्रम में श्रीमती प्रतिमा सिंह बागरी आत्मजा श्री जय प्रताप सिंह बागरी को अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण) अनुभाग नागौद जिला-सतना मध्यप्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की बागरी जाति का हस्तलिखित जाति प्रमाण-पत्र प्रकरण क्रमांक-2780B121/03-04 दिनांक 17/2/04 अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण), एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-नागौद, जिला-सतना, मध्यप्रदेश द्वारा द्वारा जारी किया गया डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रकरण क्रमांक-2780B121/03-04/बी-121/जाति प्रमाण पत्र दिनांक 17/02/2004, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक RS/429/0117/ 6692/2018 दिनांक 27/10/2018 विधि संगत होने से मान्य किया जाता है। शिकायतकर्ता श्री प्रदीप अहिरवार द्वारा की गई आपत्ति तथ्यों से परे होने से अमान्य की जाती है।

प्रकरण उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाकर समाप्त किया गया।

(मातादीन कनेरिया)
सहायक अनुसंधान अधिकारी
प्रतिनिधि, संचालक,
जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था,मध्यप्रदेश
सदस्य,राज्य स्तरीय (अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र)
छानबीन समिति

(सुधीर श्रीवास्तव)
सचिव,म.प्र.राज्य अनुसूचित जाति आयोग एवं
सदस्य,राज्य स्तरीय (अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र)
छानबीन समिति,

(डॉ0 सतेन्द्र सिंह)
आयुक्त,अनुसूचित जाति विकास एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय (अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र)
छानबीन समिति

(गुलशन बामरा)
प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं अध्यक्ष
राज्य स्तरीय (अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र)
छानबीन समिति